

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-57/2022 (2022/217) वादपत्र

उनवान

1. नारु पिता जेता गुर्जर निवासी नाबरिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
2. पारस दत्तक पुत्र जेता गुर्जर निवासी नाबरिया तहसील आमेट जिला राजसंमद

वादीगण

बनाम

1. किशोर पिता कालु गुर्जर निवासी आटावाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद-

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 12.04.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 21.06.2022 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 123 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 124 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 125 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 127 रकबा 4.88 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.77 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 06.04.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



(Handwritten signature)



मुकदमा नम्बर:-57/2022 (2022/217) वादपत्र

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 59 में प्रस्तावित आराजी संख्या 124 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 127/2 रकबा 2.49 है0, आराजी संख्या 127/4 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.78 है0 भूमि पारस दत्तक पुत्र रूपा 1/2 नारू पिता जेता 1/2 गुर्जर सा.नाबरिया खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 125 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 127/1 रकबा 1.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि किशोर पिता कालु गुर्जर सा. आटावाड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 123 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 127/3 रकबा 0.08 है0 रास्ता हेतु कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि किशोर पिता कालु 1/3 सा.आटावाड़ा नारू पिता जेता 1/3, पारस दत्तक पुत्र रूपा 1/3 गुर्जर सा. नाबरिया खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा छीपा)
 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी,
 रायपुर जिला, भौलवाड़ा
 रायपुर (भौलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाबा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—57 / 2022 (2022 / 217) वादपत्र

उनवान

1. नारु पिता जेता गुर्जर निवासी नाबरिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
2. पारस दत्तक पुत्र जेता गुर्जर निवासी नाबरिया तहसील आमेट जिला राजसंमद

वादीगण

बनाम


1. किशोर पिता कालु गुर्जर निवासी आटावाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 59 में प्रस्तावित आराजी संख्या 124 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 127/2 रकबा 2.49 है0, आराजी संख्या 127/4 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.78 है0 भूमि पारस दत्तक पुत्र रूपा 1/2 नारु पिता जेता 1/2 गुर्जर सा.नाबरिया खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 125 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 126 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 127/1 रकबा 1.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि किशोर पिता कालु गुर्जर सा. आटावाड़ा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 123 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 127/3 रकबा 0.08 है0 रास्ता हेतु कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि किशोर पिता कालु 1/3 सा.आटावाड़ा नारु पिता जेता 1/3, पारस दत्तक पुत्र रूपा 1/3 गुर्जर सा. नाबरिया खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.04.2023 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(नेहा छीपा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)